भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3230

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सभी के लिए आवास की स्थिति

3230. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत सभी के लिए आवास की स्थिति क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश, विशेषकर बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों की संख्या के साथ-साथ पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) बहराइच संसदीय क्षेत्र में वर्ष 2020 से पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत घर, जिनका निर्माण कार्य अभी पूरा होना बाकी है, की ब्लॉकवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में घरों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी के लिए आवास का लक्ष्य कब तक प्राप्त होने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। दिनांक 03.03.2025 तक, योजना के तहत शुरुआत से अब तक कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 112.46 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 90.60 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

पीएमएवाई-यू मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं, पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों का चयन करते हैं और आवास परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर, परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है ताकि केंद्रीय स्वीकृति एवम् निगरानी समिति आगे की केंद्रीय सहायता हेतु इन पर विचार कर सके।

पीएमएवाई-यू के तहत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, दिनांक 03.03.2025 तक, मंत्रालय द्वारा कुल 17,76,823 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 16,82,567 आवास पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय क्षेत्र में 10,750 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 10,653 आवास निर्माणाधीन हैं और 9,933 पूरे हो चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पीएमएवाई-यू के तहत उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय क्षेत्र में शहर-वार निर्माण प्रगति अनुलग्नक में दी गई है।

इस योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष आवासों को पूरा करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करने वाले 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 6.77 लाख आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

*****

दिनांक 20-03-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3230 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय क्षेत्र में शहर-वार निर्माण प्रगति

विवरण		बहराइच	मिहींपुरवा	नानपारा	रिसिया बाजार	रूपईडीहा	कुल
मार्च 2020 तक की प्रगति	स्वीकृत	4,449	-	1,784	1,338	-	**7,571**
	निर्माणाधीन	3,305	-	1,628	1,191	-	**6,124**
	पूर्ण	1,565	-	910	561	-	**3,036**
शेष आवास जो पूरे होने बाकी हैं		2,884	-	874	777	-	**4,535**
मार्च 2020 के बाद	स्वीकृत	752	847	535	172	873	**3,179**
मार्च 2020 के बाद पूर्ण होने वाले कुल आवास		**3,636**	**847**	**1,409**	**949**	**873**	**7,714**
मार्च 2020 के बाद की प्रगति	निर्माणाधीन	3,591	812	1,409	949	856	**7,617**
	पूर्ण	3,221	779	1,286	914	697	**6,897**

शुरुआत से अब तक कुल	स्वीकृत	5,201	847	2,319	1,510	873	**10,750**
	निर्माणाधीन	5,156	812	2,319	1,510	856	**10,653**
	पूर्ण	4,786	779	2,196	1,475	697	**9,933**